

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा  
(प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 शिविर-  
शुद्धी)

प्रकरण संख्या / 265/2023

दिनांक :- 15/05/2023

उनवान

श्री व्यमशंकर पुत्र राम लाल  
बलाई

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार  
जहाजपुर जिला भीलवाडा

:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज,  
पटवारी हल्का बापूदा भू. अ. नि. शेपा एवं तहसीलदार जहाजपुर की  
रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत  
ग्राम बापूदा प. ह. बापूदा की वर्तमान जमाबन्दी  
सम्बत 2076-2078 के खाता संख्या 515 में वर्तमान दर्ज  
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के  
आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति /ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है
01.	प्राची के पिता का नाम	व्यमशंकर पुत्र राम बलाई	व्यमशंकर पुत्र राम लाल बलाई

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री व्यमशंकर पुत्र राम लाल बलाई
3. रक्षित पत्रावली व्यमशंकर पुत्र राम लाल बलाई

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाडा